न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा (सवाई माधोपुर)

मु0न0:– 70/2017 तारीख रजू:–15.12.2017

पीठासीन अधिकारी :– सुशीला मीणा (आर.ए.एस.)

1. दिलीप पुत्र मोती जाति कोली निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1. सरकार जरिय तहसीलदार साहब चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।

प्रतिवादी

वादी की ओर से एडवोकेट अब्दुल वहाब

दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती तहत दफा 88 आर.टी.एक्ट

–:निर्णय:– **निर्णय दिनांक:–03.02.2021**

वादीगण द्वारा एक वादपत्र न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि–

1. वादी ग्राम चौथ का बरवाडा का रहने वाला है।
2. यह कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 5409/4859 रकबा 0.18 है0 ग्राम चौथ का बरवाडा में स्थित है। जिस पर वादी काबिज होकर अपने उपयोग एवं उपभोग में लेता चला आ रहा है।
3. यह कि वादी ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 5409/4859 रकबा 0.18 है0 में से 0.1199 है0 भूमि श्रीमान के यहां आबादी में संपरिवर्तन करवाया जिसका नामान्तकरण संख्या 533 दिनांक 07.06.2010 तस्दीक किया गया। जिसका इन्द्राज वादी के नाम खसरा नंबर 5433/5409/4859 रकबा 0.1199 है0 का अंकन जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में किया गया है और उक्त खसरा नंबर में संशोधन होने पर जरिये शुद्विपत्र संख्या 2 दिनांक 04.09.2013 के खसरा नंबर 5433/5409/4859 के बजाय खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 किया गया।
4. यह कि संवत 2066 से 2069 के बाद जमाबंदी संवत 2070 से 2073 जब तैयार की गई तो उक्त जमाबंदी में खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 को राजस्व कर्मचारियों की गलती से सिवायचक बिला लगानी गै0मु0 आबादी दर्ज कर दिया गया जबकि 0.1199 है0 की वादी के नाम ही खातेदारी अंकित की जानी चाहिये थी।
5. यह कि वादी को राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई इस गलती की कोई जानकारी नहीं थी परन्तु दिनांक 06.12.2017 को जब वादी ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि की नकल निकलवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पता चला कि वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी सिवायचक बिला लगानी गै0मु0 आबादी मिली जबकि वास्तविक रूप से 0.1199 है0 की खातेदारी वादी के नाम होनी चाहिये थी इस पर वादी ने पटवारी से इसे दुरूस्त करने को कहा तो पटवारी हल्का ने बताया कि न्यायालय में वाद दायर करो इस कारण वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वादी अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 की अपने नाम खातेदारी की घोषणा [illegible] तथा इस रकबे को आबादी भूमि में परिवर्तन करवाये गये रकबा 0.1199 है0 [illegible] जो गलत अंकित हो गई है, की अपने नाम खातेदारी [illegible] अपने नाम की खातेदारी अंकित करवाये।
6. यह कि सरकार के विरूद्व दावा दायरी से पूर्व [illegible] दो माह का नोटिस [illegible] जाना आवश्यक है परन्तु वादी की उक्त भूमि को आबादी दर्ज कर दिया है इस कारण ग्राम पंचायत वादी की उक्त भूमि में पट्टे काटकर बेचान कर सकती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.03.01 13:48:22 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Scanned with CamScanner

इसलिये प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80 (2) सीपीसी के तहत पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है

7. यह कि बिनाय दावा दिनांक 06.12.2017 को अन्दर अदालते वाला पैदा होकर दावा करना लाजिम आया।

8. यह कि दावा तहत दफा 88 आरटीए की निश्चित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है।

9. यह कि वादी प्रार्थी है कि दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादी इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि :–

9.1 घोषणा इस प्रकार अमर फरमाई जावे कि वादी विवादित आराजी खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा का खातेदार है।

9.2 खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 भूमि आबादी में परिवर्तन करवाने से राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज सिवायचक गै0मु0 आबादी को हजफ फरमायी जाकर वादी के नाम 0.1199 है0 की खातेदारी दर्ज फरमायी जाकर राजस्व रिकॉर्ड एवं रिकार्ड ऑफ राइटस को दुरूस्त फरमाया जावे।

10. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रकरण में तहसीलदार चौथ का बरवाडा से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार उक्त उनवानी प्रकरण में ग्राम चौथ का बरवाडा के खसरा नंबर 5409/4859 रकबा 0.18 है0 में से 0.1199 है0 भूमि को आबादी में संपरिवर्तन किया जाने के कारण नामान्तकरण 533 दिनांक 07.06.10 तस्दीक किया गया। जिसके नवीन खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 जमाबंदी तहरीर करते समय सिवायचक जिम्मन नं. 1 में दर्ज कर दिया। जिसके कारण खातेदार के समस्त अधिकार समाप्त हो गये। अतः बिन्दुवार रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर मूल ही इस अभिशंषा के साथ प्रेषित है की गई कि खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 सिवायचक से खातेदार के नाम इन्द्राज किया जाना उचित होगा।

11. प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए बताया है कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 5409/4859 रकबा 0.18 है0 ग्राम चौथ का बरवाडा में स्थित है। जिस पर वादी काबिज होकर अपने उपयोग एवं उपभोग में लेता चला आ रहा है। वादी ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 5409/4859 रकबा 0.18 है0 में से 0.1199 है0 भूमि श्रीमान के यहां आबादी में संपरिवर्तन करवाया जिसका नामान्तकरण संख्या 533 दिनांक 07.06.2010 तस्दीक किया गया। जिसका इन्द्राज वादी के नाम खसरा नंबर 5433/5409/4859 रकबा 0.1199 है0 का अंकन जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में किया गया है और उक्त खसरा नंबर में संशोधन होने पर जरिये शुद्वि पत्र संख्या 2 दिनांक 04.09.2013 के खसरा नंबर 5433/5409/4859 के बजाय खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 किया गया। संवत 2066 से 2069 के बाद जमाबंदी संवत 2070 से 2073 जब तैयार की गई तो उक्त जमाबंदी में खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 को राजस्व कर्मचारियों की गलती से सिवायचक बिला लगानी गै0मु0 आबादी दर्ज कर दिया गया जबकि 0.1199 है0 की वादी के नाम ही खातेदारी अंकित की जानी चाहिये थी। वादी विवादित आराजी खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा का खातेदार है।खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 भूमि आबादी में परिवर्तन करवाने से राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज सिवायचक गै0मु0 आबादी को हजफ फरमायी जाकर वादी के नाम 0.1199 है0 की खातेदारी दर्ज करते [illegible] गैर मुमकिन आबादी करने के आदेश फरमाये जाकर राजस्व रिकॉर्ड एवं रिकार्ड ऑफ राइटस को दुरूस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.03.01 13:48:22 IST
Reason: SelfAttested

12. वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। ग्राम चौथ का बरवाडा के खसरा नंबर 5409/4859 रकबा 0.18 है0 में से 0.1199 है0 भूमि को आबादी में संपरिवर्तन किया जाने के कारण नामान्तकरण 533 दिनांक 07.06.10

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Scanned with CamScanner

तस्दीक किया गया। जिसके नवीन खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 जमाबंदी तहरीर करते समय सिवायचक जिम्मन नं. 1 में दर्ज कर दिया। जिसके कारण खातेदार के समस्त अधिकार समाप्त हो गये। अतः तहसीलदार चौथ का बरवाडा से प्राप्त रिपोर्ट एवं संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 सिवायचक से वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाना उचित समझते है। अर्थात् वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

—:आदेश:—

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी को विवादित आराजी खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा का खातेदार घोषित किया जाता है एवं खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 भूमि गै0मु0 आबादी को सिवायचक गै0मु0 आबादी से हजफ किया जाकर वादी के नाम 0.1199 है0 भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। तदनानुसार डिक्री जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुशीला मीणा)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.03.01 13:48:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कार्यालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा (स.मा.) सत्यमेव जयते

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर स्थान चौथ का बरवाडा

1. दिलीप पुत्र मोती जाति कोली निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर

नम्बर मुकदमा 70 सन 2017

दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती दफा 88 आर0टी0 एक्ट

वादी की ओर से श्री अब्दुल वहाब एड. की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 03.02.2021 को श्रीमति सुशीला मीणा (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी को विवादित आराजी खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा का खातेदार घोषित किया जाता है एवं खसरा नंबर 5433/5409 रकबा 0.1199 है0 भूमि गै0मु0 आबादी को सिवायचक गै0मु0 आबादी से हजफ किया जाकर वादी के नाम 0.1199 है0 भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौथ का बरवाडा के नाम डिक्री सहित तहरीर जारी हो।

इस बाद के खर्चे लेखें x रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर x प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित x द्वारा x को दी जाए। यह आज तारीख 03.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	02				
	जोड	04	00	जोड	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.03.01 13:48:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुशीला मीणा)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Scanned with CamScanner